रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122023-250775 CG-DL-E-20122023-250775

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2023/अग्रहायण 29, 1945 No. 312] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2023/AGRAHAYANA 29, 1945

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 20 दिसम्बर. 2023

## नियमावली

संख्या 202/90/2023-एवीडी-II.— केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक की रिक्तियों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

- 1. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों की रिक्तियों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा नियत किया जाएगा।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के <u>परिशिष्ट-I</u> में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

3. उम्मीदवार ने निर्णायक तिथि अर्थात् 01 जनवरी, 2023 को, उपनिरीक्षक (वेतन मेट्रिक्स का वेतन स्तर 7) या निरीक्षक (वेतन मेट्रिक्स का वेतन स्तर 8) रैंक में 04 वर्ष की नियमित सेवा (प्रशिक्षण अविध सिहत) पूरी कर ली हो तथा उम्मीदवार का सेवा प्रलेख संपूर्ण रूप से निष्कलंक होना चाहिए।

7837 GI/2023 (1)

4. उम्मीदवार की आयु, पात्रता की निर्णायक तिथि अर्थात् 01.01.2023 को 40 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 02 जनवरी, 1983 से पहले न हुआ हो। तथापि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के मामले में उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी।

# उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

- 5. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है।
- 6. नियमावली के परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक के चयन हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023 में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को निर्धारित शारीरिक मानक पूरे करने होंगे।
- 7. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में परीक्षा के नियमों की अधिसूचना जारी होने और आयोग द्वारा परीक्षा का नोटिस प्रकाशित होने के बाद उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा तथा उसकी एक प्रति (हार्ड कॉपी) सत्यापन तथा आगे आयोग को भेजने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्राधिकारियों को उचित माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित पात्रता शर्तो के अनुसार उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए आवेदनों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जाएगी। तथापि, परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 8. परीक्षा के लिए आवदेन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण /साक्षात्कार में उनका प्रवेश पूर्णतः अंनितम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षणों या व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रह कर दी जायेगी।
- 9. इस परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के प्रवेश-पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिसे पात्र उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा कागजी ई प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार के पास डाउनलोड किया गया ई-प्रवेश पत्र नहीं होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  - 10(1) जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-
  - (क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, नामशः
  - (i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या
  - (ii) दबाव डालना, या
  - (iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
  - (ख) प्रतिरूप धारण, अथवा
  - (ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रुप से कार्य कराया है, अथवा
  - (घ) जाली/गलत दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा
  - (ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत या गलत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना।
  - (च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा

- (छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, नामशः
- (i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना; या
- (ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;
- (ii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या
- (ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा
- (झ) स्क्रिप्टों पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री लिखना; अथवा
- (ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा
- (ट) परीक्षा आयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा
- (ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लूट्रथ डिवाइस या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण या अन्य संबंधित एक्सेसरीज (चालू या स्विच ऑफ मोड में) प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा
- (ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रवेश-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा
- (ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो या जैसा भी मामला हो;

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अविध के लिए विवर्जित किया जाएगा।

- (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए;
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से;

यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है;

बशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक-:

- (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया जाए।
- (2)10 कोई भी व्यक्ति जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार(रों) के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- 11(1) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा उनके विवेकाधिकार से निर्धारित किए गए ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शारीरिक मानदण्ड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि क्या वे इस नियमावली के परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदण्डों को पूरा करते हैं।

- 11(2) आयोग अपने विवेक से किसी भी स्तर पर किसी एक अथवा सभी पेपरों में न्यूनतम अर्हक मानदंड निर्धारित कर सकता है तथा साथ ही अपने विवेक से केवल ऐसे उम्मीदवारों के विवरणात्मक पेपरों, जिसमें उन्होंने आयोग के विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ पेपर (पेपर-I) में न्यूनतम अर्हक मानदंड प्राप्त किए हों, का मूल्यांकन कर सकता है।
- 11(3) परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मानकों मे छूट प्रदान करते हुए शारीरिक मानदंड परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है यदि आयोग को ऐसा लगे कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य मानकों के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षणों के लिए इन श्रेणियों से आवेदकों की पर्याप्त संख्या मिलने की संभावना नहीं हैं।
- 11(4) शारीरिक मानदंड परीक्षण का संचालन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पर्यवेक्षण में होगा।
- 11(5) ऐसे उम्मीदवार जिन्हें शारीरिक मानदण्ड परीक्षणों में अर्हक घोषित किया जाता है, उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के 200 अंक होंगे।
- 11(6) साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण सक्षम तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जिनके समक्ष उम्मीदवारों का रिकार्ड होगा। उम्मीदवार से उनके संबंधित क्षेत्र तथा सामान्य अभिरूचि के विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगें तािक उनकी जानकारी और समझ की जांच हो सके। व्यापक तौर पर यह न केवल उनकी मानसिक योग्यता बल्कि उनके सामाजिक गुणों और चरित्र की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन होगा। बोर्ड, विस्तृत रूप से, अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवार का निम्नलिखित मूल्यांकन करेगाः
- (i) शारीरिक बनावट
- (क) रूप-रंग
- (ख) आचरण
- (ग) शिष्टाचार एवं शिष्टता
- (ii) सामान्य बुद्धिमता, अभिरूचि एवं रूचि
- (क) तथ्यों एवं स्थितियों को समझने उनका विश्लेषण करने तथा उनको प्रस्तुत करने की योग्यता।
- (ख) कार्य से संबंधित अभिरूचि जैसे अनुशासन, सहानुभूति आदि
- (ग) पाठ्येतर गतिविधियां खेलों, खेल-कृद, वाद-विवादों आदि में भागीदारी।
- (iii) मनोवृत्ति
- (क) नेतृत्व, संचालन, संकल्प, शीघ्र निर्णय लेना आदि
- (ख) आत्मनिर्भरता
- (ग) तनाव एवं संकट का सामना करने की योग्यता
- (घ) साहस-नैतिक एवं शारीरिक
- (iv) व्यक्त्वि का व्यावहारिक पहलू
- (क) उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अंतःवैयक्तिक संबंध

- (ख) मूल्यों, सत्यनिष्ठा, धर्मनिर्पेक्षता तथा राष्ट्रीय अभिमुखीकरण के प्रति वचनबद्धता
- 11(7) जो उम्मीदवार शारीरिक मानदण्ड परीक्षणों में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 12(1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप सें प्रदान किए गये कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों का योग्यता क्रम बनाया जायेगा जोकि परीक्षा के प्रत्येक पेपर / भाग में आयोग द्वारा यथानिर्धारित अर्हता प्राप्त करने के अध्यधीन होगा।

श्रेणी-वार योग्यता सूची, रिक्तियों की संख्या तथा उम्मीदवारों की योग्यता एवं पात्रता की सभी शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन होगी। परीक्षा के किसी एक या सभी स्तर(रों) या पेपर(रों) हेतु न्यूनतम अर्हत मानकों के निर्धारण का अधिकार आयोग को है।

12(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीवारों सहित सभी उम्मीदवारों के अंतिम चयन का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 12.04.2022 के तहत जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 के परिणामस्वरूप दायर सिविल अपील संख्या 629/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

बशर्ते यह भी कि जो उम्मीदवार योग्यता क्रम में अर्हता प्राप्त करते हैं परन्तु जिनका शारीरिक मानदण्ड परीक्षण का परिणाम लम्बित है, उनकी अनुशंसा अनंतिम तौर पर की जाएगी।

- 13. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा का परिणाम संप्रेषित करने के तरीके तथा प्रकार का निर्णय आयोग द्वारा उनके विवेक से किया जाएगा तथा आयोग परिणाम के संबंध में उनके साथ किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं करेगा।
- 14. उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कार्यों के निष्पादन में व्यवधान आने की संभावना हो। जो उम्मीदवार सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्धारित ऐसी शारीरिक जांच के बाद इन उपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- 15. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को भेजी जाएगी ताकि उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा सके।
- 16. उम्मीदवार को परीक्षा देने के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता/ यात्रा खर्च देय नहीं होगा।

कुंदन नाथ, अवर सचिव

परिशिष्ट -I

# <u>केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक के पद हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम</u>

# (I) लिखित परीक्षा की योजना:

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के अंतर्गत निम्नानुसार तीन पेपर शामिल होंगे :

पेपर-। सामान्य अभिरुचि परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार)- ऋणात्मक अंकन के बिना

300 अंक (2 घंटे)

क. सामान्य अध्ययन 150 अंक

ग. भारत का संविधान 75 अंक

 यह पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न) का होगा। इसके अंतर्गत 120 प्रश्न होंगे जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। यह पेपर उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकेन्ड्री) स्तर का होगा।

पेपर-॥ अंग्रेजी (अर्हक पेपर)- विवरणात्मरक प्रकार

200 अंक (3 घंटे)

• भाग क - निबंध

80 अंक

• भाग ख -कांप्रीहेंशन पैसेज, सार लेखन,

साधारण व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पहलू

120 अंक

यह पेपर विवरणात्मक प्रकार का होगा, जिसके अंतर्गत प्रश्न अंग्रेजी में होंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखने का निर्धारित माध्यम भी अंग्रेजी होगा। इस पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। यह पेपर मैट्रिकुलेशन स्तर का होगा।

पेपर – III आपराधिक विधि (विवरणात्मक प्रकार)

300 अंक (3 घंटे)

150 अंक

भाग क-आपराधिक न्याय प्रणाली तथा संवैधानिक सुरक्षा

भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946

शस्त्र अधिनियम, 1956

भाग ख- 150 अंक

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

यह पेपर विवरणात्मक प्रकार का होगा, जिसमें प्रश्न द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) रूप में दिए होंगे और प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने का निर्धारित माध्यम भी द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) होगा। इस पेपर में कुल 8 प्रश्न होंगे जो दो खंडों, अर्थात् खंड-क तथा खंड-ख में विभाजित होंगे। इन प्रश्नों में से उम्मीदवारों को पांच प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रश्न 1 तथा प्रश्न 5, अनिवार्य प्रश्न होंगे। शेष छह प्रश्नों में से उम्मीदवारों को किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, परंतु उन्हें प्रत्येक खंड में से कम से कम एक प्रश्न का चयन करना होगा। यह पेपर स्नातक स्तर का होगा।

नोट-1: उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे अपने उत्तर, उपरोक्ताोनुसार परीक्षा के विभिन्न घटकों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित माध्यम में ही लिखें। यदि किसी पेपर में, निर्धारित माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम में उत्तर लिखे गए, तो उसके लिए कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

<u>नोट-2</u> : प्रत्येक पेपर के लिए आयोग द्वारा अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए जाएंगे।

नोट-3 : शारीरिक परीक्षण में अर्हक हुए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण / साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।

• व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार

200अंक

## (II) लिखित पेपरों के पाठ्यक्रम

## पेपर-। (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

#### भाग-क सामान्य अध्ययन

- सिंधु घाटी की सभ्यता- विशेषताएं, पूर्व वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल- समाज, राजनीतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था; भारत- छठी शताब्दी ई.पू. से गुप्त काल तक- महाजनपद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य; उत्तर मौर्य युग (कुषाण, सातवाहन); संगम युग; साम्राज्यवादी गुप्त; क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव- पाल, राष्ट्रकूट, पल्ल्व, चोल, चह्माण (चौहान); दिल्ली सल्तानत की नींव, विस्तार और समेकन; मुगल साम्राज्य का उद्भव और समेकन; भक्ति तथा सूफी आंदोलन; प्राचीन काल से उत्तर मध्याकाल तक महिलाओं की स्थिति पर सामान्य विमर्श; प्राचीन भारत की महिला दार्शनिक तथा पैगंबर; प्राचीन तथा मध्यनकालीन भारत की महिला संत तथा कवियित्रियां।
- भारत में ब्रिटिश शासन की स्थासपना तथा समेकन; भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1857-1947) : 1857- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1919 तक राष्ट्रावादी आंदोलनों का रूझान, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन, महिला स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका; आधुनिक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाएं।
- सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन; महिला संगठनों की भूमिका तथा बीसवीं सदी में उनके द्वारा लाए गए सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव।
- पृथ्वी प्रणाली : क्रमागत उन्नति, संरचना, चाल, महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति; टेक्टाॅानिक्स ; भूकंप तथा ज्वालामुखी। हिमनदों, निदयों, हवाओं तथा महासागरों की भूमिका। मृदा तथा वनस्पतियों के प्रकार। वायुमंडल, मौसम एवं जलवायु: उष्णाकटिबंधीय तथा परा-उष्णकटिबंधीय चक्रवात। समुद्री भू-आकृतियां, ज्वार-भाटा, धाराएं।
- भारत : स्थान; फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, मृदा, प्राकृतिक वनस्पित। मानसून और ऋतुएं। जनसंख्या संबंधी विशेषताएं; जन्म, मृत्यु एवं प्रवासन; ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। कृषि, उद्योग एवं व्यापार। भूमि, जल और हवाई परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ग्लोबल पोजीशिनंग सिस्टम (जीपीएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)। प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरे और आपदाएं। आपदा प्रबंधन।
- भारत सरकार के बजट, बजट घाटे (राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा); भारतीय वित्तीय प्रणाली: बैंकिंग, बीमा और शेयर बाजार; 1991 से भारत में आर्थिक सुधार : विशेषताएं; भारत में मानव विकास सूचकांक- मानदंड एवं रैंकिंग; भारत और अंतर्राष्ट्रीय संगठन: विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ और आईबीआरडी।
- आवासन, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, एनएचआरएम, आरटीई के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक नीतियां; भारत की विदेश नीति: पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध : संयुक्ता राज्य अमेरिका, चीन।

## भाग-ख संख्यात्मक योग्यता एवं कम्प्यूटर कौशल

• लाभ और हानि, मूल्य और व्यय, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, गति और दूरी, वास्तविक संख्याओं का युक्तिकरण, फ्रैक्शन और अनुपात, आंकड़ों की व्याख्या, बहुपद और समीकरणों के मूल, रेडियन और डिग्री माप, मौलिक त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, ऊंचाई और दूरी, संख्या श्रृंखला और कोर्डिंग।

• सीपीयू, मेमरी, आई/ओ डिवाइस, यूपीएस, एप्लीलकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेमरी यूनिट, बूलियन ऑपरेशन, नंबर सिस्टम, एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर नेटवर्क, ईथरनेट, मॉडम, राउटर, स्विच, गेटवे इंटरनेट, इंट्रानेट, ई-मेल, मोबाइल संचार प्रौद्योगिकियां: 1जी, 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, वाई-फाई, वाई-मैक्स, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन उपकरण, स्प्रेडशीट, ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ई-कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, वायरस, वर्म, फायरवॉल, हैकिंग, स्पैम, मैलवेयर।

### भाग-ग भारत का संविधान

• संविधान का दर्शन : प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य और मार्गदर्शी सिद्धात; संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद; संघीय संसद : संरचना, भूमिका और कामकाज, संसदीय समितियां; न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा; राज्यों में कार्यपालिका और विधायिका : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल; भारत में संघवाद : विशेषताएं, केंद्र-राज्य संबंध, अंतर-राज्य संबंध। प्रमुख संवैधानिक संशोधन।

## पेपर-II अंग्रेजी (अर्हक पेपर)- विवरणात्मणक प्रकार

भाग- क-निबंध

भाग- ख कांप्रीहेंशन पैसेज, सार लेखन, साधारण व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पहलू

## पेपर- III आपराधिक विधि (विवरणात्मक प्रकार)

### भाग-क

- 1. आपराधिक न्याय प्रणाली तथा संवैधानिक सुरक्षा
- 1.1 नागरिक स्वतंत्रता अधिकार
- 1.2 स्वतंत्रता पर पाबंदी
- 1.3 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण : कार्योत्तर कानूनों के विरुद्ध संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और स्वं-अभिशंसन से संरक्षण
- 1.4 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार : निष्पक्ष न्याय, त्वरित सुनवाई और कानूनी सहायता का अधिकार; प्रक्रियात्मक निष्पक्षता
- 1.5 गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार
- 1.6 निवारक निरोध कानुनों के तहत बंदियों के अधिकार
- 1.7 संवैधानिक उपचार और जनहित याचिका का अधिकार
- 1.8 सिविल सेवकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय

## 2. भारतीय दंड संहिता, 1860

- 2.1 संहिता की प्रयोज्यता और क्षेत्राधिकार
- 2.2 सामान्य स्पष्टीकरण
- 2.3 सामान्य अपवाद
- 2.4 दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र
- 2.5 झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध : झूठे सबूत गढ़ना, जान-बूझकर चूक और झूठी जानकारी, अपराध का झूठा आरोप और अपराधी को शरण देना

- भारत का राजपत्र : असाधारण
- 2.6 सिक्के और सरकारी स्टाम्प सिक्के से संबंधित अपराध : परिभाषा; जालसाजी, बनाना या बेचना और उसके लिए उपकरण और सामग्री रखना; नकली सरकारी स्टाम्प का वितरण या उसे रखना तथा नकली सरकारी स्टाम्प बनाना, स्टाम्प के उपयोग को दर्शाने वाले चिह्न रखना, इनका उपयोग करना और इनके उपयोग के निशान मिटाना।
- 2.7 मानव शरीर के विरुद्ध अपराध : जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध; चोट, गंभीर चोट; सदोष अवरोध और परिरोध (रॉन्ग फुल रेस्ट्रेंट एंड कनफाइनमेंट); अपहरण और अगवा करना और यौन अपराध : बलात्कार
- 2.8 संपत्ति के विरुद्ध अपराध: चोरी, जबरन वसूली, लूट, डकैती आपराधिक दुर्विनियोजन और आपराधिक न्यासभंग (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट)
- 2.9 दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध : जालसाजी, झूठे दस्तावेज, मूल्यवान प्रतिभूति, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जालसाजी उपकरण या निशान बनाना, खातों का फर्जीवाड़ा, संपत्ति के निशान के साथ छेड़छाड़ और मुद्रा नोटों और बैंक नोटों की जालसाजी
- 2.10 अपराध करने का प्रयास : तैयारी और प्रयास
- 2.11 संहिता के तहत दंड
- 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
- 3.1 सामान्य परिभाषाएं
- 3.2 तथ्यों की प्रासंगिकता; स्वीकार्यता; इकबालिया बयान
- 3.3 तीसरे व्यक्तियों की राय; विशेषज्ञ की राय
- 3.4 मौखिक साक्ष्य
- 3.5 दस्तावेजी साक्ष्य : प्राथमिक और द्वितीयक (सेकेन्ड्री); हस्ताक्षर का प्रमाण, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर; सार्वजनिक और निजी दस्तावेज और मानित दस्तावेज (प्रिजंप्शन्स टु डॉक्यूमेंट)
- 3.6 सबूत जुटाने की जिम्मोदारी (बर्डन ऑफ प्रूफ): सबूत जुटाने की जिम्मेनदारी किसकी है; विवाहित महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज हत्या की उपधारणा
- 3.7 गवाह; गवाहों की पात्रता (कंपीटेन्सी); विशेषाधिकार प्राप्त पत्रादि (प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस); राज्य और आधिकारिक पत्रादि के मामलों के बारे में साक्ष्य
- 3.8 गवाहों का परीक्षण
- 4. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946
- 4.1 विशेष पुलिस बल के गठन का उद्देश्य और कारण
- 4.2 विशेष पुलिस स्थापना का गठन और शक्तियां
- 4.3 विशेष पुलिस स्थापना का अधीक्षण एवं प्रशासन
- 4.4 अन्य क्षेत्रों में विशेष स्थापना की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार
- 4.5 केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 26 का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 पर लागू होना

## 5. शस्त्र अधिनियम, 1959

- 5.1 हथियार और गोला-बारूद रखना, बिक्री और परिवहन
- 5.2 लाइसेंस प्रदान करने, इससे इनकार करने और इसके नवीनीकरण से संबंधित प्रावधान
- 5.3 गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां और प्रक्रियाएं
- 5.4 गुप्त उल्लंघनों के अपराध और दंड, लाइसेंस रखना और इसका उल्लंघन
- 5.5 हथियारों का भंडारण, आपराधिक उत्तरदायित्व, गिरफ्तारी और तलाशी, अपराधों का संज्ञान

#### भाग-ख

## 6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

- 6.1 संहिता की प्रयोज्यता
- 6.2 परिभाषाएं
- 6.3 आपराधिक न्यायालय: वर्गीकरण, शक्तियां और क्षेत्राधिकार
- 6.4 अभियोजन प्रणाली : लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक तथा अभियोजन निदेशालय
- 6.5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी : गिरफ्तारी के लिए पुलिस की शक्तियां, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार
- 6.6 विवश उपस्थिति की प्रक्रिया : समन, गिरफ्तारी का वारंट और कुर्की की उद्घोषणा
- 6.7 वस्तुओं को पेश करने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया : समन, तलाशी और जब्ती
- 6.8 पुलिस को सूचना (एफआईआर)
- 6.9 जांच : पुलिस की शक्तियां और प्रक्रिया
- 6.10 आरोप-पत्र और आरोप निर्धारण
- 6.11 प्ली बारगेनिंग: प्रयोज्यता, न्यायालय की शक्ति और प्रक्रिया
- 6.12 जमानत : विभिन्न प्रकार, जमानत और बांड के संदर्भ में प्रक्रिया संबंधी प्रावधान
- 6.13 संदर्भ, पुनरीक्षण और अपील
- 6.14 अपराधों का संज्ञान लेने की सीमा

## 7. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

- 7 1 लोक कर्त्तव्य और लोक सेवक का अर्थ
- 7.2 विशेष न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार
- 7.3 अधिनियम के तहत अपराध : लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से परितोषण लेना, लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार, अपराधों के लिए उकसाना, आदतन अपराध करना, आदि।
- 7.4 अभियोजन हेतु स्वीकृति : सरकार की शक्ति और प्रक्रिया
- 7.5 अपराधों की जांच : पुलिस की शक्तियां और प्रक्रिया

# 8. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

- 8.1 अधिनियम का दायरा और प्रयोज्यता
- 8.2 परिभाषाएं: कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर सिस्टम, डाटा, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सूचना और मध्यस्थ (इंटरमीडियरी)
- 8.3 कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए दंड
- 8.4 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध : हैकिंग, डाटा चोरी, प्रतिरूपधारण द्वारा धोखाधड़ी, अश्लील जानकारी का प्रकाशन / संचारण, फिशिंग
- 8.5 कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना
- 8.6 अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड और सजा
- 8.7 नेटवर्क सेवा प्रदाताओं की देयता

## 9. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

- 9.1 अधिनियम का दायरा और प्रयोज्यता
- 9.2 परिभाषाएं: अपराध से अर्जित धन (प्रोसीड्स), अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले अपराध, धन शोधन की परिभाषा
- 9.3 प्राधिकारियों की शक्तियां और प्रक्रिया : समन, तलाशी और जब्ती, कुर्की, अधिनिर्णयन और जब्ती
- 9.4 बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों के दायित्व
- 9.5 राज्य के मामलों और आधिकारिक पत्रादि (कम्युसिनकेशंस) के संदर्भ में साक्ष्य और पुलिस की शक्तियां
- 9.6 विशेष न्यायालयों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार

## 10. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

- 10.1 अधिनियम की प्रयोज्यता
- 10.2 परिभाषाएं : भगोड़ा आर्थिक अपराधी, अपराध से अर्जित धन (प्रोसीड्स)
- 10.3 भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संदर्भ में उद्घोषणा : शक्ति और प्रक्रिया
- 10.4 भगोड़े अपराधियों की संपत्ति की जब्ती : सर्वेक्षण, तलाशी, जब्ती और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया

## 11. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम. 2003

- 11.1 केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन
- 11.2 केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य और शक्तियां
- 11.3 नेकनीयती से की गई कार्रवाई. जांच की रिपोर्ट और संदर्भ
- 11.4 नियम और विनियम बनाने, निरसन और बचाव की शक्ति
- 11.5 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति

परिशिष्ट -II

# शारीरिक मानदंड :

(क) ऊंचाई : पुरूषों के लिए – 165 से.मी.
 महिलाओं के लिए – 150 से.मी.
 पर्वतीय क्षेत्र तथा जनजाति के लिए – 5 से.मी. की छूट

(ख) छाती : 76 से.मी. फुलाव के साथ

(महिला उम्मीदवारों के मामले में इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होगी)

(ग) नजर:

दृष्टि (चश्मे के साथ या चश्मे के बिना)

दूर दृष्टि : एक आंख में 6/6; तथा दूसरी आंख में 6/9

निकट दृष्टि : एक आंख में 0.6; तथा दूसरी आंख में 0.8

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

#### (Department of Personnel and Training)

#### NOTIFICATION

New Delhi the 20th December, 2023

#### RULES

**No. 202/90/2023-AVD-II.**—The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Union Public Service Commission in **2024** for the purpose of filling vacancies of Deputy Superintendent of Police in Central Bureau of Investigation are published for general information:

- 1. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.
- 2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held, shall be fixed by the Commission.

- 3. The candidates should have completed **04 years** of regular service (including the period of training) on the crucial date i.e. 1<sup>st</sup> January, 2023 in the rank of Sub-Inspector (Pay Level 7 of Pay Matrix) or Inspector (Pay Level 8 of Pay Matrix) and **should have clean service record** throughout:
- 4. A candidate must not have attained the age of 40 years on crucial date for eligibility i.e. 01.01.2023 i.e. he/she must have been born not earlier than  $02^{nd}$  January 1983. However, the upper age limit prescribed above shall be relaxable up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe category.

## SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

- 5. The Educational Qualification for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination will be a Graduation from a recognized University.
- 6. Candidates must meet the prescribed Physical standards for admission to the Limited Departmental Competitive Examination, 2023 for selection of Deputy Superintendent of Police in CBI, specified in <a href="Appendix-II">Appendix-II</a> of these Rules.
- 7. After the Notification of the Rules of the Examination in the Gazette of India by Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and publication of Notice of Examination by the Commission, the candidates will have to fill in the application form on-line on the UPSC's web-site and a hard copy of the same is to be routed through proper channel to the CBI authorities for verification and onwards transmission to

the Commission. The scrutiny of applications for deciding the eligibility of candidates with reference to the stipulated eligibility conditions will be done by the Central Bureau of Investigation. However, the decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

- 8. The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination, Physical Standard Tests and Personality Test/Interview will be purely **provisional** subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination, Physical Standard Tests or Personality Test/Interview, it is found that they do not fulfil any of eligibility conditions; their candidature for the examination will be **cancelled.**
- 9. Admit Card of the admitted candidates to this examination will be uploaded on the UPSC website and can be downloaded by the eligible candidates. No paper e-Admit Card will be issued by the Commission. Candidates shall not be admitted to the examination unless he/she holds a downloaded e-Admit Card.
- 10(1) A Candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:—
  - (a) Obtaining support for candidature by the following means, namely:-
    - (i) offering illegal gratification to; or
    - (ii) applying pressure on; or
    - (iii) blackmailing or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
  - (b) impersonation; or
  - (c) procuring impersonation by any person; or
  - (d) submitting fabricated / incorrect documents or documents which have been tampered with; or
  - (e) uploading irrelevant or incorrect photo/ signature in the application form in place of actual photo/signature; or
  - (f) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
  - (g) resorting to the following means in connection with the candidature for the examination, namely:
    - (i) obtaining copy of question paper through improper means; or
    - (ii) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination; or
    - (iii) influencing the examiners; or
  - (h) being in possession of or using unfair means during the examination; or
  - (i) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or
  - (j) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
  - (k) harassing, threatening or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the examination; or
  - (1) being in possession of or using any mobile phone, (even in switched-off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or bluetooth devices or any other equipment or related accessories (either in working or switched-off mode) capable of being used as a communication device during the examination; or
  - (m) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
  - (n) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

In addition to being liable to criminal prosecution, shall be disqualified by the Commission from the Examination held under these Rules; and/or shall be liable to be debarred either permanently or for a specified period:-

- (i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
- (ii) by the Central Government from any employment under them;

and shall be liable to face disciplinary action under the appropriate rules if already in service under Government;

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :-

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as the candidate may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed for this purpose, into consideration.
- 10(2) Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (a) to (m) above will be liable to action in terms of the clause (n) above.
- 11(1) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written Examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned for the Physical Standard Tests by CBI to check whether they meet the Physical Standards specified in <u>Appendix II</u> to these Rules:
- 11(2) Commission retains discretion to fix minimum qualifying standards in any or all of the papers at any stage and retains discretion to evaluate conventional papers of only those candidates who secure minimum qualifying standards in the objective paper (Paper-I), as may be determined by the Commission in its discretion.
- 11(3) Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes may be summoned for the Physical Standard Tests by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these categories are not likely to be summoned for the Physical Standards Tests on the basis of the general standard in Written Examination in order to fill up the vacancies reserved for them.
- 11(4) The Physical Standard Tests will be conducted under the supervision of CBI.
- 11(5) Candidates, who are declared qualified in the Physical Standard Tests, will be called for the Interview/Personality Test to be conducted by the Union Public Service Commission. The Interview/Personality Test will carry 200 marks.
- 11(6) The Interview/Personality Test would be conducted by a Board of competent and unbiased persons who will have before them a record of the candidates. The candidate will be asked questions both in his/her own field as well as matters of general interest to test his/her awareness and understanding. In broad terms, this will be an assessment of not only his/her mental calibre but also his/her social traits and integrity of character. The Board would broadly assess the candidate inter-alia in the following:
  - (i) Physical Make-up
    - (a) Appearance
    - (b) Bearing
    - (c) Manners and Mannerism
  - (ii) General Intelligence, Aptitude and Interest
    - (a) Ability to perceive, analyse and present facts and situation.
    - (b) Work related aptitudes, like discipline, empathy etc.
    - (c) Extra-curricular activities-participation in games, sports, debates etc.
  - (iii) Disposition
    - (a) Leadership, drive, determination, quick decision making etc.
    - (b) Self-reliance.
    - (c) Ability to face stress and crisis.
    - (d) Courage-moral and physical.
  - (iv) Behavioural aspect of personality
    - (a) Inter-personal relations with superiors and subordinates.
    - (b) Commitment to values, integrity, secular and national orientation.
- 11(7) The candidature of such candidates who do not qualify at the Physical Standards Tests is liable for cancellation.
- 12(1) After the Interview, candidates will be arranged by the Commission in order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate subject to qualifying each paper/part of the examination as decided by the Commission.

Category-wise merit list will be based on the number of vacancies and candidate's merit and fulfilment of all other eligibility conditions. The Commission reserves the right to fix minimum qualifying standards for any or all stage(s) or paper(s) of the Examination.

12(2) The final selection of the candidates including candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be decided based on the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide OM 36012/16/2019-Estt.(Res.) dated 12.04.2022 subject to the final outcome of the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP(C) No. 36021/2011.

Further provided that the candidates who qualify in the order of merit but the results of whose Physical standards test are pending will be recommended provisionally.

- 13. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.
- 14. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his/her duties as an officer of the service. A candidate, who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements will not be appointed.
- 15. The list of finally selected candidates would be forwarded by the Commission to Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions for issue of offer of appointment to the post of Deputy Superintendent of Police in CBI.
- 16. No TA/DA/Journey expenses will be allowed to the candidates for attending the Exam at any stage.

KUNDAN NATH, Under Secv.

#### **APPENDIX-I**

Scheme and Syllabus of the Written Examination for the Limited Departmental Competitive Examination for the post of Deputy Superintendent of Police in Central Bureau of Investigation.

#### (I) Scheme of Written Examination:

The Written Examination to be conducted by Union Public Service Commission will comprise three papers as follows:

Paper-I General Aptitude Test (Objective Type)

without negative marking

300 Marks (2 hours)

A. General studies

150 Marks

B. Numerical Abillity & Computer Proficiency

75 Marks

C. Constitution of India

75 Marks

This paper will be of Objective Type (Multiple Choice Questions) in which 120 questions will be set bilingually in Hindi and English. It will be of Higher Secondary level.

Paper-II English (Qualifying Paper) Descriptive Type

200 Marks (3 hours)

• Part A- Essay

80 Marks.

• Part B- Comprehension passages, precis writing,

simple grammar and other aspects of language testing

120 Marks

This paper will be of Descriptive Type in which the questions will be set in English and the medium of answering Question Paper will also be in English. In this paper, there will be a total of 5 questions. It will be of Matriculation level.

Paper-III Criminal Law (Descriptive Type)

300 Marks (3 hours)

Part – A 150 Marks

Criminal Justice System and Constitutional Protection

The Indian Penal Code, 1860

The Indian Evidence Act, 1872

The Delhi Special Police Establishment Act, 1946

The Arms Act, 1956

Part – B 150 Marks

The Code of Criminal Procedure, 1973

The Prevention of Corruption Act, 1988

The Information Technology Act, 2000

The Prevention of Money Laundering Act, 2002

The Fugitive Economic Offenders Act, 2018

The Central Vigilance Commission Act, 2003

This paper will be of **Descriptive Type** in which the questions will be set bilingually (Hindi/English) and the medium of answering Question Paper will also be bilingual (Hindi/English). In this paper, there will be 8 questions in all, divided into two sections: Section-A and Section B, out of which a candidate has to attempt 5 questions. Question No.1 and 5 will be compulsory Questions. Out of remaining six questions, a candidate has to attempt any three questions, choosing at least one from each Section. It will be of Graduation level.

<u>NOTE-1</u>: Candidates should ensure that they write the Answers only in the Medium allowed by the Commission for the different components as mentioned above. No credit will be given for answers written in a medium other than the one allowed in the Paper.

**NOTE-2:** There will be minimum qualifying marks separately in each Paper as may be fixed by the Commission.

<u>NOTE-3</u>: The candidates who qualify in the Physical Examination shall be required to appear for Personality Test/Interview to be conducted by the Commission.

Personality Test/ Interview

200 Marks

#### (II) Syllabi of the Written Papers:-

### **PAPER-I** (Objective Type)

### Part-A General Studies

- Indus Valley Civilization- Characteristics, Early Vedic and Later Vedic Periods- Society, Polity and Economy; India from Sixth century BCE to Gupta Age-Mahajanapadas, Jainism and Buddhism, Mauryan Empire; Post Mauryan Age (Kushana, Satavahanas); Sangam Age; Imperial Guptas; Emergence of Regional Powers- Pala, Rashtrakuta, Pallava, Chola, Chahmana (Chauhan); Foundation, Expansion and Consolidation of Delhi Sultanate; Emergence and Consolidation of Mughal Empire; Bhakti and Sufi Movements; General discussion on the condition of Women from ancient to late medieval period; Ancient Indian Women Philosophers and Seers; Women Saints &Poets in ancient and medieval India.
- Establishment and Consolidation of British Rule in India; Indian National Movement (1857-1947):1857First War of Independence, Nationalist Trends up to 1919, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement,
  Women Freedom Fighters and their contribution in freedom movements; Women achievers in different walks
  of life in modern India.
- Social and Religious Reform Movements; Role of Women Organizations and socio-cultural changes brought by them in the Twentieth Century.
- Earth System: Evolution, Structure, Movements, Origin of Continents and Oceans; Tectonics; Earthquakes and Volcanoes. Work of Glaciers, Rivers, Winds and Oceans. Soil and Vegetation Types. Atmosphere, Weather and Climate: Tropical and Extra-tropical Cyclones. Oceanic Landforms, Tides and Currents.
- India: Location; Physiography, Drainage, Soils, Natural Vegetation. Monsoon and Seasons. Population Characteristics; Births, Deaths and Migration; Rural and Urban Settlements. Agriculture, Industry and Trade. Land, Water and Air transport, Communication and Information Technology. Global Positioning System (GPS) and Geographical Information System (GIS). Natural and Man-made Hazards and Disasters. Disaster Management.
- Budgets of Government of India, Budget Deficits (Revenue Deficit, Fiscal Deficit, Primary Deficit);
   Indian Financial System: Banking, Insurance and Stock market; Economic Reforms in India since 1991:
   Features; Human Development Index in India- Parameters and Ranking; India and International Organizations: WTO, IMF and IBRD.

 Public Policies with Special Reference to Housing, Health, Drinking Water, Food Security, MGNREGA, NHRM, RTE; India's foreign Policy: India's Relations with Neighbouring Countries, India's Relations with Major Power: USA, China.

### Part-B Numerical Ability & Computer Proficiency

- Profit and loss, Prices and expenditure, Simple and Compound interest, Time and work, Speed and
  distance, Rationalization of real numbers, Fraction and ratios, Data interpretation, Polynomial and Roots of
  equations, Radian and degree measure, Fundamental trigonometric identities, Heights and distances, Number
  Series and Coding.
- CPU, Memory, I/O devices, UPS, Application software, System software, Memory units, Boolean operations, Number systems, Algorithms, Flowcharts, Operating systems, Multimedia, Computer networks, Ethernet, Modem, Router, Switch, Gateway Internet, Intranet, Email, Mobile communication technologies: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Wi-Max, Word processors, Presentation tools, Spreadsheets, Audio-Video conferencing, Search Engines, Web Browsers, E-commerce, Social networking, Virus, Worm, Firewall, Hacking, Spam, Malware.

#### Part-C Constitution of India

• Philosophy of the Constitution: Preamble, Fundamental Rights and Duties and Directive Principles; Union Executive: President, Prime Minister and Council of Ministers; Union Parliament: Structure, Role and Functioning, Parliamentary Committees; Judiciary: Supreme Court, High Court, Judicial Review; Executive and Legislature in the Constituent States: Governor, Chief Minister, State Legislature; Federalism in India: Features, Centre-State Relations, Inter-State Relations.Major Constitutional amendments.

### Paper-II English (Qualifying Paper) - Descriptive Type

Part A- Essay

Part B- Comprehension passages, precis writing, simple grammar

and other aspects of language testing.

### Paper - III Criminal Law (Descriptive Type)

#### Part - A

#### 1. Criminal Justice System and Constitutional Protection

- 1.1 Right to Freedoms of Citizens
- 1.2 Restrictions on Freedoms
- **1.3** Protection in respect of Conviction for offences: Protection against Ex-Post Facto laws, Protection against Double Jeopardy & Protection against Self incrimination
- 1.4 Right to Life and Personal Liberty: Right to fair justice, speedy trial and legal aid; procedural fairness
- 1.5 Rights of arrested Persons
- 1.6 Rights of Detainees under Preventive Detention Laws
- 1.7 Right to Constitutional Remedies and Public Interest Litigation
- **1.8** Constitutional Safeguards to Civil Servants

#### 2. The Indian Penal Code, 1860

- 2.1 Application and Jurisdiction of the Code
- **2.2** General Explanations
- 2.3 General Exceptions
- 2.4 Abetment and Criminal Conspiracy
- **2.5** False Evidences and Offences against Public Justice: Fabricating False evidence, intentional Omission and false information, false charge of offence and harbouring offender
- **2.6** Offences relating to Coin and Government Stamps Coin: definition; Counterfeiting, making or selling and possession of instrument and material for the same; delivery or possession of counterfeit and counterfeiting Government stamp, possession, use and erasure of marks denoting use of stamp.

- **2.7** Offences against Human Body: Offences affecting life; hurt, grievous hurt; wrongful restraint and confinement; Kidnapping and Abduction and Sexual offences: Rape
- 2.8 Offences against Property: Theft Extortion, Robbery, Dacoity

Criminal Misappropriation and Criminal Breach of Trust

- **2.9** Offences relating to Documents and Property Marks: Forgery, Making false document, valuable security, electronic records, counterfeiting device or mark and falsification of accounts, tempering with property mark and counterfeiting of Currency-notes and Bank-notes
- 2.10 Attempt to commit offences: Preparation and Attempt
- 2.11 Punishments under the Code

#### 3. The Indian Evidence Act, 1872

- 3.1 General Definitions
- 3.2 Relevancy of Facts; Admission; Confession
- 3.3 Opinions of Third Persons; Expert Opinion
- 3.4 Oral Evidence
- **3.5** Documentary Evidences: Primary and secondary; proof of signature, electronic signature; public and private document and presumptions to document
- **3.6** Burden of Proof: On whom burden of proof lies; presumption as to abetment of suicide of married Women and to dowry death
- 3.7 Witnesses; Competency of witnesses; Privileged Communications; Evidence as to affairs of state and official Communications
- 3.8 Examinations of witnesses

#### 4. The Delhi Special Police Establishment Act, 1946

- **4.1** Object and Reason for the Constitution of Special Police Force
- 4.2 Constitution & Powers of Special Police Establishment
- 4.3 Superintendence & Administration of Special Policy Establishment
- **4.4** Extension of Powers and Jurisdiction of Special Establishment in other Area
- **4.5** Application of Section 26 of Central Vigilance Commission Act, 2003 to the Delhi Special Policy Establishment Act, 1946

#### 5. The Arms Act, 1959

- 5.1 Possession, Sale & Transport of Arms and Ammunition
- 5.2 Provision Relating to Grant, Refusal & Renewal of License
- 5.3 Powers and Procedures for Arrest, Search & seizure
- 5.4 Offences & Penalties for Secret contraventions, Possession and Contravention of License
- 5.5 Warehousing of Arms, Criminal Responsibility, Arrest & Search, Cognizance of offences.

#### **PART-B**

## 6. The Code of Criminal Procedure, 1973

- **6.1** Applicability of the Code
- **6.2** Definitions **6.3** Criminal Courts: Classification, Powers and Jurisdiction
- 6.4 Prosecution System: Public Prosecutors, Assistant Public Prosecutors and Directorate of Prosecutions
- **6.5** Arrest of Persons: Powers of Police to arrest, Procedure to arrest, and rights of arrested persons
- 6.6 Process of compel Appearance: Summons, Warrant of Arrest and Proclamation of Attachment
- 6.7 Process to compel Production of things: Summons, Searches and Seizures
- 6.8 Information to Police (FIR)

- 6.9 Investigation: Powers of Police and Procedure
- **6.10** Charge Sheet and Framing of Charges
- 6.11 Plea Bargaining: Application, Power of Court and Procedure
- 6.12 Bails: Different Kinds, Procedure Provisions as to Bails and Bonds
- **6.13** Reference, Revision and Appeals
- **6.14** Limitation for taking Cognizance of offences

#### 7. The Prevention of Corruption Act, 1988

- 7.1 Meaning of Public Duty and Public Servant
- 7.2 Jurisdiction of Special Judges
- **7.3** Offences under the Act: Public servant taking illegal gratification, criminal misconduct by Public Servant, abetment of offences, Habitual Commission of Offences etc.
- 7.4 Sanction for Prosecution: Power of Government and Procedure
- 7.5 Investigation of Offences: Powers of Police and Procedure

#### 8. The Information Technology Act, 2000

- 8.1 Scope and applicability of the Act
- **8.2** Definitions: Computer, computer network, computer resource, computer system, Data, Digital Signature, Electronic record, Information and Intermediary
- 8.3 Penalty for damage to computer, computer system
- **8.4** Offences under the I.T. Act: Hacking , Data Theft, Cheating by Impersonation, Publishing / Transmitting Obscene Information, Phishing
- 8.5 Penalty for damage to computer and computer system
- 8.6 Penalties and Punishments for offences under the Act
- 8.7 Liability of Network Service Providers

### 9. The Prevention of Money Laundering Act, 2002

- 9.1 Scope and Application of the Act
- 9.2 Definitions: Proceeds of Crime, offence of Cross Border Implications, Definition of Money Laundering
- **9.3** Powers of Authorities & Procedure: Summons, Searches and Seizures, Attachment, Adjudication and Confiscation
- 9.4 Obligations of Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries
- 4.5 Evidence as to affairs of state and official Communications and

Powers of Police

- 9.6 Powers and Jurisdiction of Special Courts
- 10. The Fugitive Economic Offenders Act, 2018
- 10.1 Applicability of the Act
- 10.2 Definitions: Fugitive Economic offender, Proceeds of Crime,
- 10.3 Declaration of Fugitive Economic offenders: Power and Procedure
- $\textbf{10.4} \ \text{Confiscation of Property} \ \ \text{of Fugitive Offenders: Procedure} \ \ \text{for Survey, searches} \ , \ \text{seizures} \ \& \ \text{attachment of property}$

#### 11. The Central Vigilance Commission Act, 2003

- 11.1 Constitution of Central Vigilance Commission
- 11.2 Functions and Powers of central vigilance Commission
- 11.3 Action Taken in Good Faith, Report of inquiry & Reference
- 11.4 Power to Make Rule and Regulations, Repeal and Saving
- 11.5 Appointment of Officers of Directorate of Enforcement

**APPENDIX-II** 

## **Physical Standards:**

(a) Height: For men -165 cms.

For women – 150 cms.

Relaxable for : Hill men and Tribal - 5 cms.

(b) Chest :76 cms. With expansion

(There shall be no such requirement in case of female candidates)

(c) Vision:

Eye sight (with or without glasses)

Distant Vision: 6/6 in one eye; and 6/9 in the other eye.

Near Vision: 0.6 in one eye; and 0.8 in the other eye.